एक अच्छी शुरूआत

साभार : इंडियन एक्सप्रेस (1 सितंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

सेना का पुनर्गठन करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम स्वागत योग्य है और अब बस आवश्यकता है कि उच्च रक्षा प्रबंधन की पुनर्व्यवस्था के साथ इसका पालन किया जाये।

सशस्त्र बलों के लिए सुधार के पहले चरण में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य कदम है। यह सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक योजना को गति प्रदान करेगा, जो 57,000 सैनिकों और नागरिकों को भूमिकाओं से लड़ने में पुनः तैनात करेगा, जिससे उसके परिचालन दक्षता में सुधार आएगी। यह विचार सेना के 'नख से शिख' तक सुधार करेगा है, जो कि वास्तव में सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने से अधिक सम्बंधित है जो हमारे लिए दुश्मनों से लड़ते हैं। सुधारों के इस चरण को, जो केवल सेना से सम्बन्धित चिंता से जुड़ा हुआ है, वर्ष 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये सुधार लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकाटकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से निर्मित हैं, जिसे मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः उठाने के उपायों का निर्माण करने के लिए इन्हें सौंपा गया था।

समिति ने पिछले साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसकी 188 सिफारिशों का अध्ययन और उस पर चर्चा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं द्वारा किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने 99 सिफारिशों को चुना है, जो सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित हैं और इनमें से 65, जो कि सेना से संबंधित हैं, को इस चरण में कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 34 अन्य, जो वायु सेना और नौसेना के लिए आंतरिक हैं, को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन समिति की बाकी सिफारिशें कई सवालों का निर्माण करते हैं, जो उच्च रक्षा प्रबंधन, रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठनों जैसे डीआरडीओ, ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों और डीजीक्यूए से सम्बंधित हैं। देखा जाये तो मंत्रालय इन चरणों के बारे में चुप रहा है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्णय लेने वाले ढांचे को सुधारने और आधुनिकीकरण के लिए दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

रक्षा स्टाफ के लिए मुख्य अधिकारी की जरूरत को स्थापित करना या रक्षा खर्च के 2.5-3 फीसदी जीडीपी को सुनिश्चित करना जैसे प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय के दायरे से परे राजनीतिक और नौकरशाही सहमति की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक इस पर ना तो सहमति बन पायी है और ना ही कोई चर्चा हो सकी है। रक्षा सेवाओं में एक वास्तविक डर यह है कि सेना के कर्मियों के प्रबंधन के आंतरिक प्रस्तावों पर कार्य करने का चुनाव करना, किसी पके हुए फल को तोड़ने जैसा आसान है। ये आशंका पिछले समितियों की रिपोर्टों के कार्यान्वयन के अनुभव पर आधारित हैं। अरुण सिंह समिति, जो कारगिल समीक्षा आयोग से सम्बंधित है और यूपीए -2 सरकार द्वारा बनाई गई नरेश चंद समिति दोनों की अनुशंसाएं सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन इसे शुरूआत में ही स्थगित कर दिया गया था और फिर कभी इस

पर ध्यान नहीं दिया गया। चीन और पाकिस्तान दोनों से एक जीवित खतरे के साथ, रक्षा सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता है। सेना के पुनर्गठन के साथ पहला कदम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें अन्य सिफारिशों के क्रियान्वयन से शीघ्रता से बेहतर बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से उच्च रक्षा प्रबंधन के मामले में और इससे कुछ भी कम फिर से मौका खोने के समान होगा।

संबंधित तथ्य

- पहली बार रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के साथ परामर्श के उपरांत सेना में योजनाबद्ध तरीके से सुधार करने का निर्णय लिया है।
- रक्षा से संबंधित सभी पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने इन निर्णयों को मंजूरी दी है।
- सुधार के पहले चरण में अधिकारी/जेसीओ/ओआर और असैन्य कर्मियों के लगभग 57,000 पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।

मंजूर किये गए प्रमुख सुधार

- सिग्नल प्रतिष्ठानों के अधिकतम उपयोग के लिये रेडियो निगरानी कंपनी, एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, संयुक्त सिग्नल रेजीमेंट्स को सिग्नल प्रतिष्ठानों में शामिल किया जाएगा तथा कोर संचालन और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंटों का विलय कर दिया जाएगा।
- सेना के रख-रखाव व मरम्मत इकाइयों की पुनर्संरचना की जाएगी। इसके अंतर्गत बेस वर्कशॉप, एडवांस बेस वर्कशॉप और स्टेशन वर्कशॉप को शामिल किया जाएगा।
- आयुध विभाग की पुनर्संरचना के अंतर्गत वाहन डिपो, आयुध डिपो और केन्द्रीय आयुध डिपो को शामिल किया जाएगा।
- परिवहन इकाइयों और परिवहन विभागों का बेहतर उपयोग किया जाएगा, जिसमें जानवरों का इस्तेमाल भी शामिल है (जैसे: घोड़ा, ऊँट इत्यादि)।
- शांतिपूर्ण क्षेत्रों से सैन्य फार्मों और सैन्य डाक प्रतिष्ठानों को हटाना।
- सेना में वाहन चालकों और लिपिकों की भर्ती को उच्च स्तरीय बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्य दक्षता में सुधार।

पृष्ठभूमि

- सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी के निर्णय के पश्चात् 39 सैन्य फार्मों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकाटकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को संतुलित करने के संबंध में सुझाव देना था।
- विशेषज्ञों की समिति ने दिसंबर, 2016 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रक्षा मंत्रालय ने इस पर विचार करने के पश्चात् 99 सिफारिशों को सशस्त्र बलों को भेज दिया। इसका उद्देश्य सिफारिशों के अनुसार कार्यान्वयन योजना बनाना था। रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने कार्यान्वयन के लिये भारतीय सेना से संबंधित 65 सिफारिशों को मंजूरी दी है।

उद्देश्य

- इन सुधारों को 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनका उद्देश्य भारतीय सेना के पुनर्गठन, सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाना, अधिकारियों/जेसीओ/ओआर की कार्यक्षमता का समुचित उपयोग करना और असैन्य रक्षाकर्मियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये सेना के विभिन्न प्रभागों में प्रतिनियुक्ति करना है।

संभावित प्रश्न

''केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सशस्त्र बलों के लिए सुधार के पहले चरण को मंजूरी दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है जिसका निर्माण सेना का पुनर्गठन करने और सेना में योजनाबद्ध तरीके से सुधार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिये ।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322